प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 23.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 6005 द्वारा मोटरसाइकिल और साइकिकल में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत दुर्गजोत चौराहा से कालर द्वारा मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01. शिवदास पुत्र जादवन निवासी बेलडिहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बूलेंस की सहायता इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता इलाज हेतु अपस्ताल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 अभिषेक मिश्रा, हो0गा0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 269 वाहनों से 2,85,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 23.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 269 वाहनों से 2,85,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध दुधारा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 28.5 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री अरविन्द शर्मा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अबु उवैदा उर्फ छोटू पुत्र इरफान अहमद निवासी पुरैना मंसूर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम पुरैना मंसूर में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ करते हुए 28.5 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
घटना का विवरण –
आज दिनाकं 23.02.2026 को सूचना मिली कि ग्राम पुरैना मंसूर में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने मकान के सामने बनी बाउन्ड्री मे अफीम का पौधा लगाया गया है। उक्त सूचना पर थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभियुक्त को 28.5 किग्रा अफीम के पौधों (फल व फूल सहित) के साथ गिरफ्तार किया गया।
बरामदगी:-
क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* की उपस्थिति में बाउंड्री के भीतर एक क्यारी में अफीम के पौधे लगे पाए गए, जिनमें कुल 28.5 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे (जड़, फल व फूल सहित) को बरामद किया गया।
पूछताछ का विवरण:
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपने चाचा रिजवान के साथ मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अफीम की बुआई की थी।
पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0स0 64/2026 धारा 8/18 NDPS एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पुलिस टीम का विवरण:- प्रभारी निरीक्षक दुधारा श्री अरविन्द शर्मा, उ0नि0 श्री शोभनाथ, हे0का0 राघवेन्द्र सिंह, हे0का0 रामविनय यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 राधेश्याम गिरि, का0 भीम कुमार प्रथम।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष *थाना मेंहदावल* *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01.बृजेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता निवासी रत्नापार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज 02. सज्जन विश्वकर्मा उर्फ भोला पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी बरगाहपुर वैसार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज को आज दिनाँक 22.02.2026 को करमैनी तिराहे के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
01.बृजेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता निवासी रत्नापार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज।
02. सज्जन विश्वकर्मा उर्फ भोला पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी बरगाहपुर वैसार थाना बृजमनगंज जनपद महराजगंज।
आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-
बृजेश गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 317(2), 317(4),317(5),112(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 53/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
सज्जन विश्वकर्मा उर्फ भोला पुत्र स्व0 राजकुमार का अपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 359/2025 धारा 317(2), 317(4),317(5),112(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
2.मु0अ0सं0355/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 53/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 अनुराग सिंह, का0 अंकेश यादव, का0 वीरेन्द्र कुमार।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में आपरेशन क्लीन के तहत धनघटा थाने में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री से सम्बन्धित विभिन्न अभियोगों में बरामद 1016 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री दिलीप सिंह* के नेतृत्व में आपरेशन क्लीन के तहत मालखाना धनघटा थाना में लंबे समय से जमा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री से सम्बन्धित विभिन्न आबकारी अधिनियम से संबंधित अवैध कच्ची शराब को प्रशासनिक आदेश पर नष्ट करा दिया गया। बरसात, सीलन और चूहों द्वारा क्षति के कारण शराब से दुर्गंध व रिसाव हो रहा था, जिससे क्षेत्र में संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई थी। वर्ष 2025 में दर्ज आबकारी अधिनियम के 103 मुकदमों से संबंधित कुल 1016.800 लीटर अवैध कच्ची शराब को सुरक्षित रखना संभव नहीं था। अधिकांश आबकारी से सम्बन्धित मामलों में तकनीकी परीक्षण के बाद आरोप पत्र अथवा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी थी। उपजिलाधिकारी धनघटा के आदेश पर रविवार को तहसीलदार धनघटा, प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा, प्रधान लेखक सहित थाना स्टाफ और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार गड्ढा खोदकर पूरी शराब को उसमें गिराकर नष्ट किया गया। यदि समय रहते निस्तारण न किया जाता तो सड़ी शराब से गंभीर संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी जब्त आबकारी माल का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनस्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आपरेशन क्लीन के तहत थाना धनघटा मालखाना में लंबे समय से जमा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री से सम्बन्धित वर्ष 2025 में दर्ज आबकारी अधिनियम के 103 मुकदमों से संबंधित कुल 1016.800 लीटर अवैध कच्ची शराब संबंधित अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया गया। बरसात, सीलन और चूहों द्वारा क्षति के कारण शराब से दुर्गंध व रिसाव हो रहा था, जिससे क्षेत्र में संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई थी। तहसीलदार धनघटा, प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नियमानुसार गड्ढा खोदकर पूरी शराब को उसमें गिराकर नष्ट किया गया। भविष्य में भी जब्त आबकारी माल का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जनस्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा 01 युवक को किया गया बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

आज दिनाँक 23.02.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा गुमशुदा की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा युवक नाम पता राहुल कुमार शर्मा पुत्र स्व0 रानू शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को लखनऊ से सकुशल बरामद करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।
घटना का विवरण - दिनाँक 22.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर श्रीमती बच्ची देवी पत्नी स्व0 रानू शर्मा निवासी एकमा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया कि दिनांक 21.02.2026 को 23:03 बजे उनका लड़का राहुल कुमार शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष घर से कहीं चले गए हैं। काफी तलाश की पता नहीं चल रहा है। उक्त प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त युवक को सकुशल बरामद किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे।
02- उ0नि0 श्री हरिकेश बहादुर सिंह।
03- का0 अनिल कुमार बिन्द्रा।